जिला अ०क० शाखा
E-mail- dmwo.patna-bih@nic.in
dm-patna.bih@nic.in

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पटना जिलान्तर्गत संचालित (1) मौलाना अबुल हसन अली नदवी अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, पटना विश्वविद्यालय, पटना (2) मदर टेरेसा अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं (3) मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, पटना में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुरक्षा कर्मी–07 (सुरक्षा कर्मी पुरुष–06, सरुक्षा कर्मी महिला–01) एवं सफाई कर्मी–06 (सफाई कर्मी पुरुष–05, सफाई कर्मी महिला–01) रखा जाना है। इस हेतु योग्य एजेंसी/फर्म से निविदा आमंत्रित की जाती है।

वित्तीय/तकनीकी निविदा अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23-07-2021को 12:30 बजे अपराहन तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, पटना जादूघर के सामने, कोतवाली थाना के समीप में निबंधित डाक/कुरियर/स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा एवं उसी दिन अपराहन 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा उप विकास आयुक्त, पटना के कार्यालय में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

तकनीकी निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें :–

1. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म प्रतिष्ठान को निविदा प्रकाशन के तिथि से तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना चाहिए। निबंधन के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति नोटरी के द्वारा सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म प्रतिष्ठान को बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग के द्वारा The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 निबंधित होना अनिवार्य होगा। इस आशय का प्रामण–पत्र की छायाप्रति नोटरी के द्वारा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता के द्वारा भारत सरकार/बिहार सरकार के उपक्रम में विगत तीन वर्षों के कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र, संस्थान के पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित होने का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. सरकारी उपक्रम के अधीन न्यूनतम एक वर्ष में 07 (सात) सुरक्षा कर्मी एवं 06 (छः) सफाई कर्मी प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता के द्वारा कर्मचारी राज्य बिमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा निबंधित होने का छायाप्रति संलग्न करना होगा। निविदा प्रकाशित होने के पूर्व 07 (सात) सुरक्षा कर्मी एवं 06 (छः) सफाई कर्मी का E.S.I.C & E.P.F.O जमापर्ची एवं अंशदान की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता के द्वारा संस्थान की जी०एस०टी० निबंधन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विगत 03 वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर के अनुरूप सेवा कर/जी०एस०टी० जमा करने का साक्ष्य/चालान/जमापर्ची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. संस्थान के द्वारा रू 25000/–(पचीस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट "जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना" के नाम से देय होगा। निविदा के साथ संस्थान के द्वारा बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा करने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. संस्थान के नाम से चल रहे चालू खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में होंने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा एवं संस्थान के द्वारा एक करोड़ का Solvency Certificate (शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना के नाम से मूलप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. संस्थान के नाम पर दिए निविदादाता अपने लेटर पैड पर ई.पी.एफ.ओ. ई. एस. आई.सी. एवं जी.एस. टी. की सत्यापित मूलप्रति/छायाप्रति स्वंय हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र नोटरी के द्वारा सत्यापित

मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जाँच के उपरांत दिए गए कागजात में फेरबदल, जालसाजी एवं धोखाधड़ी प्रमाणित होने पर कालीसूची में डालते हुए उनके विरूद्ध नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

10. भारत सरकार/बिहार सरकार के संस्थान द्वारा वर्त्तमान/भवष्यि में किए गए कार्यो में काली सूची में नाम नहीं दर्ज होने सम्बन्धी प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष दायर शपथ प्रमाण–पत्र की मूलप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. केन्द्रीय श्रमिक अनुबंध (Regulation & Abolition) एक्ट 1970 के द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित शर्ते :–

क्र0	मान्यता प्राप्त एजेंसी का नाम	कोटि	कार्य दिवस	दर प्रति दिन (निविदा के अनुसार)	मासिक दर	EPF @13%	ESI @3.25%	Relieving Charge	योग (6+7+8)	Service Charge	कुल (10+11)	GST @18%	कुल योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		सुरक्षा गार्ड											
		सफाई कर्मी											

<u>तकनीकी निविदा हेतु अनिवार्य शर्ते :–</u>

- स्पष्ट अंकित तथा मुहरबंद निविदा ही स्वीकार किया जायेगा।
- निविदा में द्वारा दिए गए निविदा के प्रथम लिफाफे पर "Tender for Hiring of Private Security Guard" अंकित करना अनिवार्य होगा।
- निविदा में प्रस्तावित दर सभी देय कर सहित होगा। प्रस्तावित दर के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी।
- निविदा के द्वारा चयनित संस्थान के द्वारा प्रतिनियुक्ति सुरक्षाकर्मियों के लिए पहचान पत्र एवं ग्रीष्म ऋतु/शरद ऋतु के लिए समान पोशाक उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्थान का चल रहे चालू खाते का विवरणी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- संस्थान द्वारा निविदा में दिए गए प्रमाण–पत्रों की सत्यापित मूलप्रति/छायाप्रति की साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें लिखावट का पता चल सके।
- सफाई कर्मी/सुरक्षा गार्ड निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जाँच के दौरान सुरक्षा गार्ड निर्धारित पोशाक में नहीं रहने पर प्रति सुरक्षा गार्ड 500 (पाँच सौ) रूपये विपत्र से कटौती उक्त महिने में की जाएगी। पोशाक उपलब्ध कराने की जबावदेही चयनित संस्थान की होगी।
- संस्थान के द्वारा निविदा में दिए गए प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए।
- तकनींकी रूप से स्वीकृत निविदा की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
- संस्थान के सफाई कर्मी/सुरक्षा गार्ड की सेवा ली जायेगी। आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड/सफाई कर्मी कि संख्या में कटौती/वृद्धि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना के द्वारा निर्णायक होगी।
- सम्बन्धित सुरक्षा गार्ड/सफाई कर्मी की उम्र सीमा 35 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए एवं उनसे तीन पालियों में कार्य लिया जायेगा।
- उक्त सभी सेवाओं के लिए एकरारनामा एक वर्ष की होगी। जो कि विभागीय आदेश के उपरांत एकरारनामा अवधि विस्तार सम्बन्धी निर्णय लेने का अधिकार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना एवं चयनित सुरक्षा एजेंसी के आपसी सहमति के द्वारा एकरारनामा प्रारूप निर्धारित किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का निर्णय इस सम्बन्ध में अंतिम होगा।

- किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद–विवाद निष्पादन का अधिकार District Court के स्तर पर किया जाएगा।
- उप विकास आयुक्त, पटना को निविदा को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7/7/21.

उप विकास आयुक्त,
पटना।